न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 103/2022

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर हाल निवासी वार्ड नं0 23 चांदपोल गेट के बाहर, हीरालालजी का नोहरा, तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थी –

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र स्व0 मदन लाल
2. महेश पुत्र स्व0 मदनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर
3. पटवारी हल्का सिंहासन तहसील व जिला सीकर
4. तहसीलदार सीकर

– अप्रार्थीगण –

उपस्थित वकील प्रार्थी – श्री सागरमल मीणा
वकील अप्रार्थीगण – श्री नोपराम जांगिड़

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक – 24.01.2023

वकील प्रार्थी ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सिहांसन तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 217/739 रकबा 0.3500 है0 अवस्थित है। जिसमें अपने 6/35 हिस्से के साथ रघुनाथ के 11/35 हिस्से में से 1/4 हिस्से पर प्रार्थी काबिज है। विवादित आराजियात का पक्षकारान ने मोके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण को बंटवारा करने के लिये कहा तो मना कर दिया तथा बिना बंटवारे के अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि विक्रय करने की धमकी देने लगे। इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया गया। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे रिकार्ड में मौके की यथास्थित बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर

Scanned with Oken Scanner

किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 3 व 4 की तामिल विधिवत होने के बावजूद उपस्थित नहीं रहे इसिलये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया, जवाब में कथन किये कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि के 6/35 व रघुनाथ के 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त प्रार्थी का है। बल्कि उसका 17/35 में से 1/4 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। वंशावली में स्व0 मदनलाल की पुत्री मंजू का नाम अंकित नहीं किया गया है। विवादित भूमि कृषि उपयोग में नहीं आ रही है बल्कि मौके पर पक्षकार आवासीय मकान बनाकर आबाद है। इसलिये सींव नींव खुर्द बुर्द करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अन्य तथ्य मनगंढत एवं निराधार प्रस्तुत किये हैं।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम सिहांसन तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 217/739 रकबा 0.3500 है0 की खातेदारी रूघनाथ पुत्र महाबक्सा हिस्सा 11/35, रामकुमार पुत्र रूघनाथ हिस्सा 6/35 एवं रामेश्वर पुत्र महाबक्सा हिस्सा 18/35 के नाम दर्ज है। तीनों ही खातेदारान का स्वर्गवास हो चुका है। उनके वारीसान पक्षकार हैं। प्रार्थी ने एवं अप्रार्थीगण ने अपने प्रा0 पत्र एवं जवाब में यह अंकित किया है कि वह मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि मौके पर कृषि कार्य में काम नहीं आ रही है। मौके पर आवासीय मकान बनाकर पक्षकारान आबाद है। इस प्रकार जब प्रार्थी स्वयं यह कथन कर रहा है कि वह मौके पर बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण ने उसके कथन की ताईद की है तो फिर पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का कोई न्यायोचित कारण प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलन** – प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है।

Scanned with Oken Scanner

3. **अपूर्णिय क्षति** – किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार से अपूर्णिय क्षति होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

4. **निष्कर्ष**– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रमाणित नहीं होने के कारण ग्राम सिहांसन तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 217/739 रकबा 0.3500 है0 का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.1.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner